न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/16 निर्णय दिनांकः– 29-2-24
(जीसीएमएस संख्या 2016/00326)

1. शिवलाल पुत्र रमणलाल जाति नाई निवासी नाईयों की बस्ती तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2015
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड़ अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2015 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट् का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के ग्राम सरे गुजरायत के पुराने खेत खसरा नम्बर 43 वर्तमान खेत खसरा नम्बर 98 कुल तादादी 52 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

13 बिस्वा भूमि 39 बीघा भूमि निहित थी जोकि अपीलांट्स के पूर्वज के धारण की खातेदारी भूमि थी, उक्त भूमि पर पूर्व में अपीलांट् के पूर्वज व वर्तमान में अपीलांट् का कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि पर मौके पर मकान आदि बने हुए है इस प्रकार अपीलांट् के परिवार व पशुओं की जीविका का एकमात्र साधन वादगत् भूमि पर कृषि कार्य है तथा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट् के पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही है तथा कालान्तर में अपीलांट् का वादगत् भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा संवत् 2012 से पूर्व व आज दिनांक तक चला आ रहा है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि को काफी मेहनत व पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो कोई बयान लिये गये ना ही कोई साक्ष्य व सबूत लिये गये। जबकि अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे।

उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य ही ली गई। जबकि दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम की जानी व साक्ष्य जी जानी अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा इन सबके बावजूद बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व दावे के आवश्यक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए रिकार्ड क विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जबकि अपने निर्णय में यह खुलासा नहीं किया गया है कि अपीलांट्स/वादी का वाद किस आधार पर खारिज योग्य है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपूर्ण, तथ्यों के विपरीत व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् का वादगत् भूमि पर विधि सम्मत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है तथा ना ही कभी उसे मौके से बेदखल किया ग़या है। इस प्रकार अपीलांट् निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर भी वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उसे नहीं हो पाई। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी होने पर अपने वकील के पास गया और दावे के बारे में जानकारी चाही गई तक अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तुम्हारा दावा तो काफ़ी समय पहले ही निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट्/वादी का वाद खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट् वादगत् भूमि बतौर अतिक्रमी काबिज है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट् द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व धारा 188 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2016 जिसके द्वारा अपीलांट्/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट् का वादगत् भूमि पर पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि के बाबत् निरन्तर लगान अदा किया जाता रहा है। अतः कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट् वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी है।

(3). हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट् की माता ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी सनद् जारी करने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, कोलायत ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

(4) परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में एकतरफा तौर पर प्रकरण के तथ्यों को अभिलिखित करते हुए बिना बहस सुने वाद खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एव संरक्षणा हेतु वर्ष 2011 में वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के संबंध दस्तावेजी रिकार्ड, मौके की स्थिति व कब्जे की

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा अपने वादपत्र के साथ संवत् 2028–2031 की जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी संवत् 2026–2030, मिलान क्षेत्रफल, तावानी रसीदें, नाजायक काश्त के नोटिस आदि प्रस्तुत किये गये थे, जिनका कोई विवेचन एवं विश्लेषण अीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अविवेकपूर्ण तथा कानूनी प्रावधानों से असंगत है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करे हुए व वादप्रक्रिया को अपनाते हुए व अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के अनुसरण में विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर